पत्रावली पेश हुई

20/4/16 वकील डिक्री दार ने निवेदन किया कि प्रकरण में पत्र नहीं हुई है इसलिए इस प्रकरण का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है आवेदिका पक्षा. ने वा. पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है अतः प्रकरण नियमानुसार निस्तारित किया जाता है वाद व्यय नियम अन्तिम डिक्री में जोड़ा जावे।